



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: idpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (91)आकाशि/नि.सं./2018/

17-32

दिनांक:- 16/01/2023

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से 2024-25 (तीन सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर नवीन संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
सुनगर शिक्षा संस्थान, कौटिल्य कॉम्पस, NH-27 बाईपास रावतभाटा रोड़, नया गॉव, कोटा।	कौटिल्य कॉलेज, NH-27 बाईपास रावतभाटा रोड़, नया गॉव, कोटा।	कोटा विश्वविद्यालय कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- चित्रकला, ग्राफोल, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान।

- संस्था अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मूल निरोक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2025-26 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में परीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करावेगी।
- संस्था की समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों को पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से सहायता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रचरण में भी 10वीं आइटम के तान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये। संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तत्पश्चात् लय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी किये वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aiche.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) फॉर्म भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. शिक्षा सहायक, 400 उच्च शिक्षा मंत्रालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशा करलेक्टर, कोटा।
5. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय कोटा।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित फाइलें।

PRINCIPAL

KAILIYA COLLEGE, KOTA

PRIN

KAILIYA CO

KOTA



राजस्थान सरकार
 आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
 Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
 Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
 e-mail: idsi_ccc@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (0);

क्रमांक: एफ.६ (104)आकाशि/नि.सं./2020/166

दिनांक:- 29.10.2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1989 एवं राज्य सरकार द्वारा उद्यत निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत वैधानिक सत्र 2020-21 से 2022-2023 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर निजी महाविद्यालय संघालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संघालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	वस्तुसूचक
सुमरा शिक्षण संस्थान, कोटिल्य कॉम्पस, NH-27 वाईपास रावतभाटा रोड, नया गोंय, कोटा।	कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, NH-27 वाईपास रावतभाटा रोड, नया गोंय, कोटा।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, जनसंस्थानशास्त्र, आर्थीशास्त्र।

1. संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार नये वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अतिरिक्त हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था किराए के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रदान अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पर कार्य सौंपे जाने पर नानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा साबुखि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्राचर्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा वाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित प्राप्त करेगी तथा विश्वविद्यालय के प्रकरण में सी.टी.आई.ओ से मायता व विश्वविद्यालय से संबंधित पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यतावादी प्राचार्य, आवंटित विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयवाहक एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतावादी अधीक्षक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार नये संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुरस्तक एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वेबपोर्टल www.aishw.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(Signature)
 आयुक्त
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु देवित है -
1. शिक्षा सचिव, माओ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
 4. जिला कॉलेक्टर, कोटा।
 5. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
 6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
 7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 8. शिक्षण पत्रावली।

(Signature)
 सयुक्त निदेशक (निपत्तों)
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर